न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–श्योपुर

1– गुरूमेज सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह
2– मंजीत कौर पत्नी गुरूमेज सिंह
निवासीगण–मायापुर तहसील व जिला योपुर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला श्योपुर (म.प्र.)

..... अनावेदक

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 2768-I/2016 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17.08.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह आवेदन सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, आवेदकगण के हित में नायब तहसीलदार तहसील श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.1996 पारित किया है, किन्तु उक्त आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल नहीं किया जा रहा है इस संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्य पर विचार किये बिना जो आदेश पारित किया है उसमें अभिलेख की प्रत्यक्षदर्शी त्रुटि होने से माननीय न्यायालय का आदेश पुर्नविलोकन योग्य है।

2– यहकि, ग्राम मायापुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 5 रकवा 4.5 बीघा सर्वे क्रमांक 6/2 रकवा 10 बीघा सर्वे क्रमांक 96/7 रकवा 10 बीघा का भूदान पट्टा रतन पुत्र अषाढया महिला मुली देवी महावीर भावचन्द भगवान दास पुत्रगण रामसुखा, रामसिया द्रोपदी गीता पुरी रामसुख बडी बेवा रामसुखा को दिये गये थे। किन्तु भूमि पर उनका कोई कब्जा नहीं है केवल मात्र कागजात में भूमि स्वामी अंकित है जबकि वास्तविक कब्जा विष्णु गुरूमेज

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पुर्नाविलोकन 3154/एक/2016 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18.10.16	यह पुर्नाविलोकन आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल के प्रकरण क्रमांक 2768/एक/2016 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17.08.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 51 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगण के हित में नायब तहसीलदार, तहसील श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.1996 पारित किया था, किन्तु उक्त आदेश का राजस्व अभिलेखों में अमल नहीं किया। इस संबंध में आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र तहसीलदार, तहसील श्योपुर के समक्ष प्रस्तुत किया था किन्तु उनके द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र पर विचार ही नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष आवेदकगण द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गयी थी, जो पारित आदेश दिनांक 17.08.2016 से ग्राहयता के बिन्दु पर ही निरस्त कर दी गयी, जिससे व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में पुर्नाविलोकन प्रस्तुत किया गया है। 3– पुर्नाविलोकन मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा आवेदकगण के अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। 4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील श्योपुर द्वारा आवेदकगण के हित में आदेश दिनांक 26.06.1996 पारित किया था, किन्तु उसका	

राजस्व अभिलेखों में अमल नहीं किया गया है। ग्राम मायापुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 5 रकवा 4.5 बीघा, सर्वे क्रमांक 6/2 रकवा 10 बीघा, सर्वे क्रमांक 96/7 रकवा 10 बीघा, का भू–दान पट्टा रतन पुत्र अषाढया, महिला मूलीदेवी, महावीर, भावचन्द्र, भगवानदास पुत्रगण रामसुखा, रामसिया, दोपत्री, गीता पुरी, रामसुख, बडी वैवा रामसुखा को दिया गया था किन्तु भूमि पर उनका कोई कब्जा नहीं है, केवल मात्र कागजात में भूमिस्वामी अंकित है। जबकि वास्तविक कब्जा विष्णु गुरूमेज सिंह का है। इस आशय का प्रतिवेदन नायब तहसीलदार, तहसील श्योपुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर को प्रेषित किया, जिसके आधार अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 32/1994–95/अ–86 में कार्यवाही कर आदेश दिनांक 22.01.1996 जारी किया जाकर भू–दान पट्टा निरस्त कर दिया एवं भूमि शासन में वेष्ठित किये जाने का आदेश पारित किया। किन्तु उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया। आवेदकगण के हित में नायब तहसीलदार, तहसील श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमाक 16/95–96/अ–86 में ग्राम मायापुर की भूमि सर्वे क्रमांक 5, 6/2, 2/3, 214, 218/2क, 218/2ख भू–दान भूमि का आबंटन भू–दान अधिनियम 1968 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 26.06.1996 को किया गया था, किन्तु उपरोक्त आदेश का अमल राजस्व अभिलेखों में नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी थी जो न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख बुलाये बिना एवं उसकी जॉच किये बिना पारित आदेश दिनांक 17.08.2016 से निरस्त कर दी गयी है। जिसके पश्चात् यह पुर्नाविलोकन प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में पुर्नाविलोकन स्वीकार किये जाने एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 17.08.2016 निरस्त कर नायब तहसीलदार, तहसील श्योपुर के आदेश दिनांक 26.06.1996 का अमल राजस्व अभिलेखों में किये जाने का निवेदन किया गया।

5— अनावेदक शासन की ओर उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह आधार लिया है। कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जो आदेश पारित किया है, वह विधिवत् एवं सही है क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण के आवेदन पत्र को प्रर्याप्त आधार न होने के आधार पर राजस्व अभिलेखों में अमल नहीं किया है, अतः ऐसा आदेश अपने स्थान पर उचित एवं सही है। ऐसी स्थिति में वर्तमान पुर्नाविलोकन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6— उभयपक्ष के अभिभाषको द्वारा किये गये तर्को एवं आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार, तहसील श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.1996 का राजस्व अभिलेखों में अमल किये जाने का निवेदन किया गया था चूंकि आज वर्तमान स्थिति में उपरोक्त आदेश किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश का राजस्व अभिलेखों में अमल किया जाना चाहिए। प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि ग्राम मायापुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 5 रकवा 4.5 बीघा, सर्वे क्रमांक 6/2 रकवा 10 बीघा, सर्वे क्रमांक 96/7 रकवा 10 बीघा, का भू—दान पट्टा रतन पुत्र अषाढया, महिला मूलीदेवी, महावीर, भावचन्द्र, भगवानदास पुत्रगण रामसुखा, रामसिया, दोपत्री, गीता पुरी, रामसुख, बडी वैवा रामसुखा को दिया गया था किन्तु भूमि पर उनका कोई कब्जा नहीं है, केवल मात्र कागजात में भूमिस्वामी अंकित है। जबकि वास्तविक कब्जा विष्णु गुरूमेज सिंह का है। इस आशय का प्रतिवेदन नायब तहसीलदार, तहसील श्योपुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर को प्रेषित किया, जिसके आधार अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 32/1994—95/अ—86 में कार्यवाही कर आदेश दिनांक 22.01.1996 जारी किया जाकर भू—दान पट्टा निरस्त कर दिया एवं भूमि शासन में वेष्ठित किये जाने का आदेश पारित किया। किन्तु उक्त आदेश का

पालन नहीं किया गया। आवेदकगण के हित में नायब तहसीलदार, तहसील श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमाक 16/95–96/अ–86 में ग्राम मायापुर की भूमि सर्वे क्रमांक 5, 6/2, 2/3, 214, 218/2क, 218/2ख भू–दान भूमि का आबंटन भू–दान अधिनियम 1968 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 26.06.1996 को किया गया था। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश का राजस्व अभिलेखों में अमल किया जाना चाहिए किन्तु विचारण न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश में इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुर्नाविलोकन स्वीकार किया इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 2768/एक/2016 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17.08.2016 एवं तहसीलदार, तहसील श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2010 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है एवं भूमि सर्वे क्रमांक 5, 6/2, 2/3, 214, 218/2क, 218/2ख पर आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेखों अंकित किये जाने के निर्देश तहसीलदार, तहसील श्योपुर को दिये जाते है। इसी निर्देश के साथ वर्तमान प्रकरण समाप्त किया जाता है।

सदस्य